"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 857] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 नवम्बर 2025 — कार्तिक 20, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–5/2025/रास/यू.–15. – इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2025/रास/यू.–15, दिनांक 26–09–2025 द्वारा शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ में कुलपति नियुक्ति हेतु पेनल अनुशंसित करने के लिये छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) अंतर्गत समिति नियुक्त किया गया।

2. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) के अंतर्गत समिति के पेनल प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्द्वारा, चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

हस्ता./–

(निधि साहू)
राज्यपाल के उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.